न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या 06/2023 (उदयपुर आर्डर)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना इकाई कार्यालय, 465, सरस डेयरी के पास, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.) पूर्व नामित जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय भारण सरकार

............ अपीलान्ट/प्रार्थी

बनाम

1. पन्नालाल पिता मोतीलाल जी जैन (मृतक) के बजाय :–

1/1. नरेन्द्र कुमार पिता स्व. पन्नालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

1/2. श्रीमती गुलाब देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

1/3. श्रीमती बसन्ती देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

1/4. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

1/5. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

2. जमनालाल पिता हीरालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

3. रंगलाल पिता हीरालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

4. श्रीमती गेंदी बाई पत्नी हीरालाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

5. सुन्दरलाल पिता मोतीलाल जी जैन, निवासी परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलुम्बर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested

6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, कार्यालय गुलाबबाग के सामने, उदयपुर (राज.)

7. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, सलुम्बर (राज.)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

...........रेस्पोन्डेन्ट / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम
19 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी
———::———

उपस्थित :— 1— श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट / प्रार्थी
2— श्री संजय बोहरा अभिभाषक विपक्षी सं. 1/1 से 1/5
3— श्री अनुराग शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी सं. 6
4— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 7, 8
———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 10—07—2024</u>

अपीलान्ट / प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त मामले में अपील की सुनवाई तामिल हेतु दिनांक 09—02—2021 की पेशी नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को विभागीय अधिवक्ता वक्फ अधिकरण जयपुर में सुनवाई होने से जयपुर चले गये व सहायक अभियन्ता को इसकी जानकारी नहीं होने से उपस्थित नहीं हुए और वापस आने पर पेशी की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 09—02—2021 को अनुपस्थिति के कारण अपील निरस्त कर दी, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु दिनांक 15—02—2021 को प्रार्थना पत्र बाजदारयी हेतु प्रस्तुत कर दिया गया, जो दिनांक 19—09—2022 को अधिवक्ता अपीलान्ट की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 19—09—2022 अपास्त किया जाकर अपील पुनः बाजदायर हेतु प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 15—02—2021 पारित आदेश दिनांक 19—02—2021 अपास्त किया जावे तथा अपील बाजदायर करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट / विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट / प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति [illegible] हुआ है, जिसके लिए आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested

41 नियम 27 जा.दी. के तहत अपील रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, वह भी अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19–09–2022 को खारिज हो चुका है। ऐसे मामलों की केवल राजस्व मण्डल में रिवीजन लाई होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. इसी आधार पर खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की मूल अपील 38/2019 अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09–02–2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गयी, जिसे पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. का अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया, वह भी दिनांक 19–09–2022 को न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अब पुनः अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि ऐसे मामलों की केवल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिवीजन ही लायी होती है। तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 10–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested